



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(7th / 8th Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad)

पत्रांक : 113 / प्र०3०(त०३०-२) / जोन-१ / यु०१० / 2015-16 दिनांक : २५/०५/२०१६

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उपर्युक्त नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की घारा 14 य 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु आर्थ यह न समझना चाहिये कि उस पृष्ठी के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र (With F.A.R) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी ल्यानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फार्म के मालिकाना अधिकारीं पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निलिखित या स्वामित्व के अधिकारों के विळङ्ग कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अमित गोयल दिकास अनुबन्धकर्ता श्रीमती सुष्मा श्रीवास्तव व अन्य द्वाया नाण्डुल मृदुल संख्या-८/३ सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अन्तर्गत समूह आवास (With F.A.R) मानचित्र की स्वीकृति उपायक्ष, इविंग्रां द्वारा दिनांक 20-05-2017 के द्वारा निनाकित प्रतिवेद्यों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उपर्युक्त नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की घारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपर्योग/अधियोग किया जायेगा, वरन् निर्माण एवं विकास उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनिवार्य (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत विक्रिये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वार्ताविक उपयोग में लाया जा सकेगा।।।
3. इथल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें अर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. प्रस्तावित स्थल पर 20 अद्व वृक्षा-रोपण करना होगा तथा बृक्षों को हरा भरा करने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. रेनगाटर हार्डस्टैंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर मूँ-गर्भ जल विभाग से अनापति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ०डी०आर० अवमुक्त किया जायेगा।
6. स्थल पर समर्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा वैकुं गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
7. उपर्युक्त एवं 2010 एवं रुल्स 2011 का अधारश: पालन करना होगा।
8. उपनिदेशक अनिश्चयन सेवा इलाहाबाद परिषेन्ट इलाहाबाद की अनापति पत्रांक : 2016/25250/इला०/246/डीडी दिनांक 20.10.2016, मुख्य अधियन्ता नगर नियम इलाहाबाद की अनापति पत्रांक : 109/एस०टी०सी०इ०/16 दिनांक 23.11.2016, मुख्य अधियन्ता-विधुत इलाहाबाद की अनापति पत्रांक : 4995/मु०अ०(वि०)इ०इ०/ पी-२ (मानचित्र) दिनांक 22.10.2016 में अकित प्रतिवेद्यों का अकारक्ष: अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
9. वहमाजिते भवन का निर्माण स्ट्रक्चरल ब्राइंग लिजाईन के अनुसार निर्माण कार्य गृहकार्यरोधी मानकों पर ही किया जाना आवश्यक है। निर्माण की गुणवत्ता एवं संरचना का सम्पूर्ण दायित्व निर्माण/विकासकर्ता का होगा।

10. सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र लगाये जाने के साथ-साथ प्रोजेक्ट में विद्युत उपयोग का अनानन्द कर लोड के अनुसार सौर ऊर्जा जनसेट स्थापित किये जाने हेतु सोलर पैनल भी लगाया जाय।

11. प्रस्तुत समृद्ध आवास मानचित्र 72 आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति हेतु है।

अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण पूर्णतया निश्चिद्ध होगा।

12. निर्माण में प्रयुक्त समाग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में ही रखना होगा।

13. खल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु प्रस्तुत व्यायानुमान में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को बहन करना होगा।

14. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्तर्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति मूँ-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। मूँ-स्वामित्व रावणी कोई भी विवाद सङ्कम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरतानित किया जा सकता है।

15. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरंभित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।

16. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो १०५० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

17. यह स्वीकृत पत्र केवल पौँच वर्ष की अवधि के लिए है।

18. मकान निर्माण से यदि नाली के सङ्क की पटरी अथवा सङ्क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे आगे खर्च से मरम्मत कराकर पूर्णत अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मैं कर देगा।

19. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रॉल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये हो वह ऐसे निर्माण को रोक अवश्य हटावा सकता है।

20. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

21. यदि निर्माण में मारटर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उत्तर अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(पुक्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी